




न्यायालय श्रामान राजस्व मडल ग्वालियर (म.प्र.)

133



R5035-III 16

1. सियाशरण द्विवेदी पिता स्व. रामशिरोमणि ब्रा.
2. मु. मुन्नी देवी बेवा पत्नी स्व. अवधशरण ब्रा.
3. राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पिता स्व. अवधशरण ब्रा.
4. राजललन द्विवेदी पिता स्व. अवधशरण ब्रा.
5. विमलेश द्विवेदी वगै. पिता स्व. रामबहोर ब्रा.



सभी निवासी ग्राम कोलौरा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.) निगरानीकर्तागण

वनाम

1. बालगोबिंद पिता बाल्मीक ब्रा.
2. रामरसीले तिवारी पिता मोतीलाल ब्रा.
3. मणि प्रसाद द्विवेदी
4. मिठाईलाल द्विवेदी
5. केशरी प्रसाद द्विवेदी
6. इन्द्रमणि प्रसाद द्विवेदी



पिसरान स्व. रविकरण द्विवेदी

सभी निवासी ग्राम कोलौरा तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र. गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. शुभमसुधम मिश्रा एड
 द्वारा आज दिनांक 23-1-16 के
 प्रस्तुत किया गया।
 [Signature]
 जज
 सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार सेमरिया
 दिनांक 13.11.15
13.01.2015 बावत् प्रकरण क.
 01अ13/14-15, संलग्न प्र.क.02अ13/10-11
 अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रां.सं. सन् 1959 ई.।

मान्यवर,

निगरानी के प्रमुख आधार निम्नलिखित है :-

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेमरिया का आलोच्य आदेश विधि एवं प्रक्रिया विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

[Signature]

R. 5035-ए/16 शीया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-4-17.	<p>1- आवेदक गण तथा उनके अभिभाषक सूचना उपरोक्त लगातार कई परिपत्रों से उपाक्षेपित नहीं हो रहे हैं।</p> <p>2- आवेदक गण की ओर से ली दृश्यताल सूचना एड-उप-। उनके द्वारा आपासी आदेश प्रस्तुत किया गया। हस्ताक्षर सहित पेश।</p> <p>3- शर्क आवेदक सूचना उपरोक्त उपाक्षेपित नहीं है। अतः सहित की धारा 35(2) के तहत प्रकाश अदम पेंचरी में टपालित किया जाता है।</p> <p>4- आदेश की प्रती अर्थात् धापा. को ही मेजी जोडो</p> <p>5- प्रकाश पंजी से समाप्त होकर दृ.पि. ही</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">Kw Chauhan</p>

M